

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या.13488/2019

इण्टिसा सर्विसियोस डी इंजेनिरिया एसएल, कार्यकारी निदेशक और अधिकृत प्रतिनिधि श्री स्वरूप चक्रवर्ती के माध्यम से, उम्र लगभग 46 वर्ष पुत्र स्व. खंगेंद्र चक्रवर्ती, निवासी फ्लैट संख्या एच-35, आइडियल एन्क्लेव, गोपालपुर राजारहाट, कोलकाता -700136।

----याचिकाकर्ता

बनाम

अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, रुडसिको, अजमेर मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से, किंग्स एडवर्ड मेमोरियल हॉल, रेलवे स्टेशन के सामने अजमेर, राजस्थान।

----प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता (गण) की ओर : श्री अजातशत्रु मीना, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी (गण) की ओर : श्री राजेंद्र प्रसाद, वरिष्ठ अधिवक्ता,  
श्री अंशुमन सक्सैना, अधिवक्ता।

माननीय श्रीमान न्यायमूर्ति अशोक कुमार गौड़

रिपोर्टेबल:-

आदेश

23/05/2022

यह रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई है, जिसमें वाणिज्यिक न्यायालय संख्या 1, जयपुर द्वारा पारित दिनांक 27.05.2019 के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद '1996 का अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 34 (4) के तहत दायर आवेदन अपास्त कर दिया गया है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह कहा है कि मध्यस्थ पंचाट दिनांक 02.02.2019 को प्रत्यर्थी द्वारा वाणिज्यिक न्यायालय में 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन दायर करके चुनौती दी गई है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता ने 1996 के अधिनियम की धारा 34 (4) के तहत दायर आवेदन में कार्यवाही स्थगित करने के लिए एक आवेदन दिया था तथा प्रत्यर्थी और मध्यस्थ न्यायाधिकरण को मध्यस्थ कार्यवाही को फिर से शुरू करने या ऐसी अन्य कार्रवाई करने का अवसर देने के लिए कहा गया क्योंकि मध्यस्थ न्यायाधिकरण की राय में मध्यस्थ पुरस्कार को रद्द करने के लिए आधार को खत्म करना आवश्यक था।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि 1996 के अधिनियम की धारा 34 (4) के तहत आवेदन दायर करके, याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया कि पैरा 50 और 54

में निष्कर्ष दर्ज करते हुए याचिकाकर्ता के पक्ष में 02.02.2019 को मध्यस्थ पंचाट पारित किया गया था।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता ने निचली अदालत के समक्ष बताया कि आक्षेपित निर्णय पारित करते समय, मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने अनजाने में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में नहीं रखा, जैसे कि:-

1. माध्यस्थता न्यायाधिकरण के पंचाट ने प्रत्येक मुद्दे पर अलग से निष्कर्ष देने के लिए निर्णय को छोड़ दिया।
2. दिनांक 09.06.2017 के आक्षेपित समाप्ति आदेश को रद्द करते हुए, अनुच्छेद 50 में प्रयुक्त "प्राकृतिक न्याय के न्यूनतम सिद्धांत" और "अति तकनीकी आधार" शब्दों की व्याख्या करना छोड़ दिया गया।
3. व्यवसाय, प्रतिष्ठा और सद्भावना की हानि के लिए 4,80,00,000/- रुपये प्रदान करने के कारणों को छोड़ दिया गया और अपील में प्रत्यर्थी-आवेदक के प्रतिदावे को रद्द करने के लिए स्पष्टीकरण देने को छोड़ दिया गया।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि 1996 के अधिनियम की धारा 34 (4) के तहत वाणिज्यिक न्यायालय को दी गई शक्ति का प्रयोग करना आवश्यक था और 1996 के अधिनियम का उद्देश्य पंचाट को अंतिम रूप देना था और धारा के अनुसार 1996 के अधिनियम के 34(4) के तहत 1996 के अधिनियम की धारा 34 के प्रावधानों के तहत पंचाट को रद्द करने के आधार को खत्म करने का अवसर मध्यस्थ न्यायाधिकरण को देना आवश्यक था।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि **किन्नरी मुलिक और अन्य बनाम घनश्याम दास दमानी (एआईआर 2017 S C 2785)** के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आधार पर धारा 34 (4) के तहत राहत देते समय केवल तीन प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं पर विचार किया जाना था, अर्थात् (i) एक पक्ष द्वारा अनुरोध; (ii) धारा 34 के तहत पंचाट को रद्द नहीं किया जाना चाहिए (iii) ऐसे आधार मौजूद होने चाहिए जिन पर धारा 34 के तहत पंचाट को रद्द किया जा सके।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि दिनांक 27.05.2019 के आक्षेपित आदेश द्वारा आवेदन पर निर्णय लेते समय, निचली अदालत गलत तरीके से इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि याचिकाकर्ता न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी था और उसने आक्षेपित निर्णय के विरुद्ध कोई आपत्ति दर्ज नहीं की थी।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि अधिकरण ने धारा 34 (4) के तहत एक आवेदन दायर करने के लिए पूर्ववर्ती शर्त यह मानकर कानून में एक त्रुटि की है कि एक पक्ष को आक्षेपित निर्णय से व्यथित होना चाहिए और उसने मध्यस्थ पुरस्कार में कमी के लिए धारा 34 के तहत निर्णय को चुनौती दी है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अधिकरण ने एक निष्कर्ष को गलत तरीके से दर्ज किया है कि माध्यस्थ अधिकरण द्वारा पारित पुरस्कार के मात्र अवलोकन से पता चलता है कि प्रत्येक मुद्दे को अलग से लिया गया था और विवादों और मुद्दों पर निर्णय लिया गया था और अंतिम बहस के समय इन सभी पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता थी।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि निचले न्यायालय द्वारा किन्नरी मुलिक और अन्य बनाम घनश्याम दास दमानी (सुप्रा.) सोम दत्त बिल्डर्स लिमिटेड बनाम केरल राज्य (2009), 10 एससीसी 259 और डायना टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम क्रॉम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड (2019), 20 एससीसी 1 के मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में नहीं रखा गया है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि माध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पारित पंचाट के केवल अवलोकन से पता चलता है कि जो निष्कर्ष पैरा 50 और 54 में दर्ज किए गए हैं, वे इस पर चर्चा या तर्क नहीं देते हैं कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन क्यों नहीं किया गया और दिनांक 09.06.2017 के समाप्ति आदेश की कार्रवाई को अति तकनीकी आधार क्यों कहा गया?

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि 1996 के अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा (4) के तहत आवेदन दायर करने का उद्देश्य उस स्थिति में विफल हो जाएगा यदि संबंधित पक्ष को आधार को खत्म करने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण से मध्यस्थ पंचाट को रद्द करने के उद्देश्य से अनुरोध करने का अवसर नहीं दिया जाएगा।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि धारा 34 (4) के तहत आवेदन दायर करने का उद्देश्य पहले से ही पुरस्कार में दिए गए निष्कर्ष पर कारणों को रिकॉर्ड करना या पुरस्कार के तर्क में अंतराल को भरना है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार, याचिकाकर्ता द्वारा एक आवेदन दायर करके सभी तीनों शर्तों को पूरा किया गया था और इस तरह निचली अदालत आक्षेपित आदेश में दिए गए कारणों पर आवेदन को अपास्त नहीं कर सकती थी।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि आई-पे क्लियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड (2022) 3 एससीसी 121 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने 1996 के अधिनियम की धारा 34 (4) के दायरे पर हाल ही में विचार किया गया है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आई-पे क्लियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड (सुप्रा.), के मामले में निर्धारित कानून के अनुसार, मामले को मध्यस्थ न्यायाधिकरण को भेजने के लिए न्यायालय के पास निहित विवेक का प्रयोग किया जाना चाहिए था और यदि कोई अपर्याप्त तर्क है या तर्क में कुछ अंतराल हैं तो पंचाट को पढ़ने पर उसे भरना आवश्यक है, यदि ऐसा कोई आवेदन दायर किया गया है तो उसे अनुमति दी जानी चाहिए।

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजेंद्र प्रसाद, जो प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत हुए थे, ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर रिट याचिका के तहत निचली अदालत द्वारा पारित आदेश में इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यदि क्षेत्राधिकार की अंतर्निहित कमी है तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत केवल यह न्यायालय ही क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है।

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने भी आपत्ति जताई कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर वर्तमान रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है और याचिकाकर्ता के लिए उचित उपाय या तो 1996 के अधिनियम की धारा 37 के तहत अपील दायर करना या वाणिज्यिक न्यायालयों अधिनियम, 2015 (इसके बाद इसे '2015 का अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 13 के

तहत सहारा लेना होगा।

याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत विद्वान अधिवक्ता श्रीमान अजातशत्रु मीना ने कहा कि विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा उठाई गई आपत्ति टिकाऊ नहीं हैं क्योंकि याचिकाकर्ता ने पहले खंडपीठ सिविल विविध अपील संख्या 3255/2019 दायर की थी। इस न्यायालय के समक्ष और इस न्यायालय की खंडपीठ ने 25.07.2019 को याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को अपील वापस लेने की अनुमति दी। रिट याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ और तदनुसार अपील को रिट याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ वापस लिया गया मानकर अपास्त कर दिया गया।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि खंडपीठ का उपरोक्त निर्णय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक निर्णय पर आधारित था, जहां विविध अपीलों को विचारणीय नहीं माना गया है और निर्धारित एकमात्र उपाय रिट याचिका दायर करना था।

यह न्यायालय, रिट याचिका या अपील दायर करने के मुद्दे को और कमजोर करना आवश्यक नहीं समझता है, जो याचिकाकर्ता द्वारा 2015 के अधिनियम की धारा 13 या 1996 के अधिनियम की धारा 37 के तहत दायर किया जा सकता था।

मामले के गुणागुण के आधार पर प्रत्यर्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आई-पे क्लियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड (सुप्रा.), के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के मद्देनजर याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका अपास्त करने योग्य है।

प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा किन्नारी मुलिक और अन्य बनाम घनश्याम दास दमानी (सुप्रा.); सोम दत्त बिल्डर्स लिमिटेड बनाम केरल राज्य (सुप्रा.) और डायना टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम क्रॉम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड (सुप्रा.) में लिए गए निर्णय पर भरोसा किया गया है। इन सभी पर उच्चतम न्यायालय द्वारा विचार किया गया है और उच्चतम न्यायालय ने पाया है कि ये सभी निर्णय अलग-अलग थे और 1996 के अधिनियम की धारा 34 (4) के दायरे को समझाने में कोई सहायता नहीं करते थे।

प्रत्यर्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उच्चतम न्यायालय अधिनियम की धारा 34 (4) के दायरे की व्याख्या करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आवेदन दायर किए जाने पर 1996 के अधिनियम की धारा 34 (4) के तहत, यह हमेशा अनिवार्य नहीं है। न्यायालय के लिए मामले को मध्यस्थ न्यायाधिकरण को भेजना और धारा 34 (4) के तहत विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग किया जाना है जहां अपर्याप्त तर्क है या निष्कर्षों के समर्थन में तर्क में अंतराल को भरने के लिए, जो पहले से ही पंचाट में दर्ज हैं।

प्रत्यर्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अतिरिक्त कारणों की आड़ में और तर्क में अंतराल को भरने के तहत, कोई भी पुरस्कार मध्यस्थ को नहीं भेजा जा सकता है जहां पंचाट में विवादास्पद मुद्दों पर कोई निष्कर्ष नहीं है।

प्रत्यर्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अतिरिक्त कारणों की आड़ में या तर्क में अंतराल को भरने के तहत, धारा 34 (4) के तहत न्यायालय में प्रदत्त शक्ति को किसी मध्यस्थ को नहीं सौंपा जा सकता है और किसी भी निष्कर्ष के अभाव में विवादास्पद मुद्दे, कोई भी कारण पंचाट में दोष को ठीक नहीं कर सकता है।

प्रत्यर्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पारित पुरस्कार के मात्र अवलोकन से पता चलता है कि दलीलों के आधार पर 15 मुद्दे तय किए गए थे, जैसा कि दावेदार ने अपनी दावा याचिका में उठाया था और दो मुद्दे काउंटर दावे में तय

किए गए थे।

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि यद्यपि मुद्दों को मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा अलग से तैयार किया गया था, तथापि, मुद्दों पर अलग से निर्णय नहीं लिया गया है और केवल दो मुद्दों के संबंध में निष्कर्ष दर्ज किए गए हैं, वह भी विभिन्न मुद्दों पर सामान्य निष्कर्ष देकर मुद्दों का निर्णय करते हुए।

प्रत्यर्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि मध्यस्थ निर्णय को पहले ही चुनौती दी जा चुकी है और धारा 34 के तहत आपत्ति पर निर्णय करना उचित न्यायालय का काम है।

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन पर निर्णय लेते समय नीचे की न्यायालय द्वारा बताए गए कारण कानून की नजर में बिल्कुल सही नहीं हो सकते हैं, हालांकि, **आई-पे क्लियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड (सुप्रा.)**, के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार अब यह एकीकृत नहीं है कि आवेदन धारा 34 (4) के तहत दायर किया जा सकता है, लेकिन संबंधित न्यायालय को पक्षकारों की पूरी दलीलों और उसके समक्ष उठाए गए मुद्दों पर विचार करने के बाद उक्त आवेदन पर निर्णय करना होगा।

मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें सुनी हैं।

यह न्यायालय वर्तमान रिट याचिका में शामिल मुद्दों के संबंध में अपने निष्कर्ष देने से पहले, 1996 के अधिनियम की धारा 34(4) के तहत दायर आवेदन में याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुख्य आधारों को उद्धृत करना उचित समझता है, जिसे यहां नीचे दिया गया है:-

"7. यहां यह उल्लेख करना उचित है कि आक्षेपित पंचाट पारित करते समय मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने अनजाने में:

क) प्रत्येक मुद्दे पर निर्णय को छोड़ दिया और मुद्दों पर अलग से निष्कर्ष दिया।

ख) दिनांक 09.06.2017 के आक्षेपित निर्णय को कानून की दृष्टि से खराब बताते हुए पैराग्राफ 50 में इस्तेमाल किए गए शब्दों "प्राकृतिक न्याय के न्यूनतम सिद्धांत" और "उच्च तकनीकी आधार" की व्याख्या करना छोड़ दिया गया।

ग) व्यवसाय, प्रतिष्ठा और सद्भावना की हानि के विरुद्ध 4,80,00,000/- रुपये का पंचाट देने का कारण बताना छोड़ दिया गया।

घ) आवेदक/प्रत्यर्थी के प्रतिदावे को रद्द करने के लिए स्पष्टीकरण देना छोड़ दिया गया।

इस न्यायालय ने आगे पाया कि आवेदन के समर्थन में जो आधार उठाए गए थे, उन्हें संक्षेप में निम्नानुसार वर्णित किया गया है: -

1. मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने अनजाने में प्रत्येक मुद्दे पर निष्कर्ष देने के लिए निर्णय को छोड़ दिया और अलग-अलग निष्कर्ष दर्ज किए गए हैं। पंचाट न्यायाधिकरण ने निर्णय के अनुच्छेद 50 में "प्राकृतिक न्याय के सुस्पष्ट सिद्धांत" और "अति तकनीकी आधार" शब्दों की व्याख्या करना छोड़ दिया। व्यवसाय, प्रतिष्ठा और सद्भावना की हानि के विरुद्ध 4,80,00,000/- रुपये का पुरस्कार देने का कारण बताना छोड़ दिया गया। प्रतिदावे को रद्द करने के लिए स्पष्टीकरण देना छोड़ दिया गया, आवेदक के प्रतिदावे को अपास्त करने के लिए कारण बताना छोड़ दिया गया और ये सभी अनजाने में की गई चूक पुरस्कार को रद्द किए जाने के लिए अतिसंवेदनशील बनाती हैं।

2. न्यायालय को मध्यस्थता न्यायाधिकरण को आक्षेपित पंचाट को रद्द करने के आधार को खत्म करने का अवसर देते हुए 1996 के अधिनियम की धारा 34 (4) के तहत अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए।

3. किन्नरी मुलिक और अन्य बनाम घनश्याम दास दमानी (सुप्रा.) के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय कई आधार पर एक पक्ष के अनुरोध पर एक आवेदन दायर करने की अनुमति दी गई थी और पंचाट को रद्द नहीं किया गया था और इसके अलावा ऐसे आधार मौजूद थे जिन पर धारा 34 के तहत पंचाट को रद्द किया जा सकता था।

इस न्यायालय ने पाया कि दिनांक 27.05.2019 का आदेश भारत संघ बनाम मदन मोहन जैन एंड संस एवम् अन्य 2019 (1) डब्ल्यूएलएन 189 राजस्थान में पारित एक निर्णय पर भरोसा करते हुए निचली अदालत द्वारा पारित किया गया है और मैकडरमॉट इंटरनेशनल इंक बनाम बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड 2006 (11) एससीसी 181 के मामले में आगे निर्णय सुनाया गया।

इस न्यायालय ने पाया कि 27.05.2019 को वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के बाद, उच्चतम न्यायालय ने अब आई-पे क्लियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड (सुप्रा.) के मामले में 1996 के अधिनियम की धारा 34 (4) के दायरे पर विचार किया है। उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रासंगिक चर्चा के रूप में उद्धृत किया गया है:-

"19. जैसा कि अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया, यह सच है कि अधिनियम की धारा 34(4) अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर यूएनसीट्राल मॉडल कानून के अनुच्छेद 34(4) के समान भाषा में दी गई है। एकेएन एवम् अन्य बनाम एएलसी एवम् अन्य के मामले में मॉडल कानून के विधायी इतिहास पर विचार करके, सिंगापुर कोर्ट ऑफ अपीलस द्वारा यह माना गया कि झूट एक 'उपचारात्मक विकल्प' है। अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने किन्नरी मुलिक एवम् अन्य बनाम घनश्याम दास दमानी के मामले पर भरोसा करते हुए यह तर्क दिया कि जो प्रश्न विचार के लिए आया वह यह था कि क्या अधिनियम की धारा 34(4) न्यायालय को मध्यस्थ पुरस्कार को रद्द करने के बाद पक्षकारों द्वारा किसी भी आवेदन के अभाव में मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष पक्षकारों को स्थानांतरित करने का अधिकार देती है, वास्तव में, उक्त निर्णय में, यह माना गया है कि अधिनियम की धारा 34(4) के तहत शक्ति का प्रयोग करने की सर्वोत्कृष्टता ट्रिब्यूनल को ऐसे उपाय करने में सक्षम बनाना है जो मध्यस्थता पुरस्कार को अलग करने के आधार को खत्म कर सके। पुरस्कार में खामियाँ। डायना टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड बनाम क्रॉम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड, के मामले में निर्णय में। यह एक ऐसा मामला था जहां अधिनियम की धारा 34(4) के तहत कोई जांच नहीं हुई थी और उक्त मामले में, इस न्यायालय ने माना है कि अधिनियम की धारा 34(4) के पीछे विधायी मंशा थी, न्यायाधिकरण को इलाज योग्य दोषों को पूर्ववत करने का अवसर देने के बाद, पुरस्कार को लागू करने योग्य बनाना है। यह पुरस्कार में पेटेंट अवैधता का मामला नहीं था, बल्कि एक निष्कर्ष के लिए तर्क की कमी के कारण पुरस्कार में कमी थी जो पहले से ही पुरस्कार में दर्ज किया गया था। उसी मामले में, यह भी स्पष्ट रूप से माना जाता है कि जब तर्क में पूर्ण विकृति होती है, तो वही अधिनियम की धारा 34(1) के तहत पुरस्कार को चुनौती देने का आधार है। सोम दत्त बिल्डर्स लिमिटेड बनाम केरल राज्य का मामला भी एक ऐसा मामला है जहां कोई कारण नहीं है पुरस्कार में पहले से ही दर्ज निष्कर्ष के लिए दिए गए हैं, इस प्रकार, इस न्यायालय ने माना कि अधिनियम की धारा 34(4) के मद्देनजर, उच्च न्यायालय को मध्यस्थ न्यायाधिकरण को कारण बताने का अवसर देना चाहिए था।

20. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान ने तर्क दिया कि अधिवक्ता द्वारा उद्धृत उपरोक्त मामला कानून तथ्यों के आधार पर भिन्न है और इस मामले में कोई सहायता प्रदान नहीं करेगा क्योंकि यह प्रत्यर्थी का विशिष्ट मामला है कि बिंदु संख्या 1 पर कोई निष्कर्ष नहीं

निकला है कि "क्या प्रत्यर्थी द्वारा अनुबंध अवैध रूप से और अचानक समाप्त कर दिया गया था?", अधिनियम की धारा 34(4) के तहत छूट स्वीकार्य नहीं है। हमारे विचार में, अधिनियम की धारा 34(4) का सहारा पंचाट में पहले से ही दिए गए निष्कर्ष पर कारण दर्ज करने या पुरस्कार के तर्क में अंतराल को भरने के लिए लिया जा सकता है। आयकर अधिकारी, ए वार्ड, सीतापुर बनाम मुरलीधर भगवान दास के मामले में निर्णय में प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया कि 'निष्कर्ष' और 'कारणों' के बीच अंतर है। उपरोक्त निर्णय से यह स्पष्ट है कि 'खोज किसी मुद्दे पर निर्णय है'। इसके अलावा, जे. अशोक बनाम कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय एवम् अन्य के मामले में निर्णय में, इस न्यायालय ने माना है कि 'कारण उन सामग्रियों के बीच संबंध हैं जिन पर कुछ निष्कर्ष आधारित हैं और वास्तविक निष्कर्ष हैं।' बिंदु संख्या 1 पर किसी भी निष्कर्ष के अभाव में, जैसा कि प्रत्यर्थी द्वारा अनुरोध किया गया है और आगे, यह उनका मामला है कि पक्षकारों के बीच 'समझौते और संतुष्टि' को सिद्ध करने के लिए मध्यस्थ के समक्ष प्रस्तुत प्रासंगिक सामग्री पर विचार नहीं किया जाता है, और यह पेटेंट अवैधता के समान है, ऐसे पहलुओं पर न्यायालय द्वारा ही विचार किया जाना है। यह नहीं कहा जा सकता है कि यह एक ऐसा मामला है जहां अतिरिक्त कारण दिए जाने हैं या बिंदु संख्या 1 पर निष्कर्ष के अभाव में तर्क में अंतराल है अर्थात् "क्या प्रत्यर्थी द्वारा अनुबंध अवैध रूप से और अचानक समाप्त कर दिया गया था?"

21. इसके अलावा, अधिनियम की धारा 34(4) स्वयं यह स्पष्ट करती है कि कार्यवाही को फिर से शुरू करने का अवसर देना या न देना मामले को मध्यस्थ न्यायाधिकरण को भेजने का निर्णय न्यायालय के पास निहित है। शब्द "जहां यह उचित है" स्वयं इंगित करता है कि यह न्यायालय द्वारा प्रयोग किया जाने वाला विवेक है कि किसी पक्ष द्वारा अनुरोध किए जाने पर मामले को वापस ले लिया जाए। जब आवेदन अधिनियम की धारा 34(4) के तहत दायर किया जाता है, तो उस पर उस पक्ष द्वारा अधिनियम की धारा 34(1) के तहत आवेदन में उठाए गए आधारों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना चाहिए, जिसने मध्यस्थ के निर्णय पर प्रश्न उठाया है। अधिनियम की धारा 34(4) के तहत दायर आवेदन में ट्रिब्यूनल और उठाए गए आधार और उसका उत्तर. केवल इसलिए कि किसी पक्ष द्वारा अधिनियम की धारा 34(4) के तहत एक आवेदन दायर किया गया है, मामले को मध्यस्थ न्यायाधिकरण को भेजना न्यायालय के लिए हमेशा अनिवार्य नहीं है। अधिनियम की धारा 34(4) के तहत प्रदत्त विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग वहां किया जाना चाहिए जहां अपर्याप्त तर्क हो या तर्क में अंतराल को भरने के लिए, उन निष्कर्षों के समर्थन में जो पहले से ही पंचाट में दर्ज हैं। अतिरिक्त कारणों की आड़ में और तर्क में अंतराल को भरने के तहत, कोई भी पंचाट मध्यस्थ को नहीं भेजा जा सकता है, जहां पंचाट में विवादास्पद मुद्दों पर कोई निष्कर्ष नहीं है। यदि पंचाट में विवादास्पद मुद्दों पर कोई निष्कर्ष नहीं है या यदि रिकॉर्ड पर भौतिक साक्ष्य की अनदेखी करते हुए कोई निष्कर्ष दर्ज किया गया है, तो यह पंचाट को रद्द करने के लिए स्वीकार्य आधार हैं। अतिरिक्त कारणों की आड़ में या तर्क में अंतराल को भरने के तहत, न्यायालय को प्रदत्त शक्ति को मध्यस्थ को नहीं सौंपा जा सकता है। विवादास्पद मुद्दे पर किसी निष्कर्ष के अभाव में, कोई भी कारण पंचाट की खामी को दूर नहीं कर सकता। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 31, 34(1), 34(2क) और 34(4) का सामंजस्यपूर्ण अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि उचित मामलों में, किसी पक्ष द्वारा किए गए अनुरोध पर, न्यायालय एक आदेश दे सकता है। मध्यस्थ को कारण बताने या निष्कर्ष के समर्थन में तर्क में अंतराल को भरने के लिए मध्यस्थ कार्यवाही फिर से शुरू करने का अवसर, जो पहले से ही पंचाट में प्रदान किया गया है। लेकिन साथ ही, जब प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि

किसी विवादास्पद मुद्दे पर निष्कर्ष दर्ज न करने से पंचाट में पेटेंट अवैधता है, तो ऐसे मामलों में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण को मध्यस्थ कार्यवाही फिर से शुरू करने के लिए न्यायालय अवसर देने के लिए किसी पक्ष के अनुरोध को स्वीकार नहीं कर सकता है। इसके अलावा, जैसा कि प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत हुए विद्वान अधिवक्ता ने सही तर्क दिया है, कि साक्ष्यों पर आगे विचार करने पर 'समझौते और संतुष्टि' की दलील पर, जिसे पहले नजरअंदाज कर दिया गया था, भले ही मध्यस्थ न्यायाधिकरण जानबूझकर यह मानना चाहता हो कि 'समझौते और संतुष्टि' थी पक्षकारों के बीच संतुष्टि' के मामले में, वह स्वयं पुरस्कार में बदलाव करके ऐसा नहीं कर सकता, जिसे वह पहले ही पारित कर चुका है।'

यह न्यायालय पाता है कि अब 1996 के अधिनियम की धारा 34 (4) के तहत आवेदन पर न्यायालय द्वारा अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करके निर्णय लेने की आवश्यकता है और समान शक्तियों का प्रयोग अतिरिक्त कारणों की आड़ में और भरने के लिए नहीं किया जा सकता है। तर्क में अंतराल और इस तरह के पुरस्कार को मध्यस्थ/मध्यस्थ न्यायाधिकरण को नहीं भेजा जा सकता है और विशेष रूप से यदि पुरस्कार में विवादास्पद मुद्दों पर कोई निष्कर्ष नहीं है।

इस न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता ने अपने आवेदन में उल्लेख किया है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा प्रत्येक मुद्दे पर अलग से कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है और जो निष्कर्ष रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री को अनदेखा करके दर्ज किए गए हैं, जो स्वयं पंचाट को रद्द करने का आधार हो सकते हैं।

इस न्यायालय का मानना है कि अतिरिक्त कारणों की आड़ में और तर्क में अंतराल को भरने के तहत, कोई भी पंचाट मध्यस्थ को नहीं भेजा जा सकता है, जहां पंचाट में विवादास्पद मुद्दों पर कोई निष्कर्ष नहीं है। इस न्यायालय ने आगे पाया कि यदि पंचाट में विवादास्पद मुद्दों पर कोई निष्कर्ष नहीं है या यदि रिकॉर्ड पर भौतिक साक्ष्य की अनदेखी करते हुए कोई निष्कर्ष दर्ज किया गया है, तो वही या तो अतिरिक्त कारणों की आड़ में या तर्क में अंतराल को भरने के लिए पंचाट को रद्द करने के लिए स्वीकार्य आधार हैं। न्यायालय द्वारा प्रदत्त शक्ति को केवल एक मध्यस्थ को सौंपा जा सकता है और विवादास्पद मुद्दों पर निष्कर्षों के अभाव में, कोई भी कारण निर्णय में दोष को ठीक नहीं कर सकता है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित उपरोक्त सिद्धांत को मामले के वर्तमान तथ्यों में लागू करने की आवश्यकता है। याचिकाकर्ता ने अपने आवेदन में विशेष रूप से अनुरोध किया है कि विवादास्पद मुद्दों पर निष्कर्ष अलग से दर्ज किए गए हैं।

यह न्यायालय आगे पाता है कि प्रत्यर्थी द्वारा पुरस्कार को चुनौती देने का आधार उन अलग-अलग मुद्दों पर भी है जिनका निर्णय माध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निष्कर्ष और कारण देकर नहीं किया गया है।

इस न्यायालय ने पाया कि वर्तमान मामले के तथ्य मेल नहीं खाते हैं कि इस अवस्था पर मामलों को वापस मध्यस्थ के पास भेजा जाना चाहिए, अतः अधिकरण को अब अपना अतिरिक्त तर्क देना है या तर्क में कमियों को भरना है।

इस न्यायालय ने पाया कि मामले के वर्तमान तथ्यों में, याचिकाकर्ता ने 1996 के अधिनियम की धारा 34 (4) के तहत एक आवेदन दायर करते हुए, अपने आवेदन-पत्र द्वारा उठाए गए तर्कों के अनुसार पंचाट को रद्द करने के आधार को खत्म करने की प्रार्थना की है।



याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की दलील है कि आई-पे क्लियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड (सुप्रा.), के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार, निचली अदालत को पहले से ही पंचाट में दिए गए निष्कर्ष पर कारण दर्ज करने या पंचाट में तर्क में अंतराल को भरने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण को भेजना चाहिए था, क्योंकि निष्कर्ष और तर्क के बीच अंतर है और जैसे कि यदि कारण मध्यस्थ पंचाट में सामने नहीं आ रहे हैं, तो उचित कदम याचिकाकर्ता के आवेदन को 1996 के अधिनियम की धारा 34 (4) के तहत अनुमति देना था, यह न्यायालय याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता की प्रस्तुति को स्वीकार करने से झिड़क रहा है। यह माना जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा अपने आवेदन में मांगी गई प्रार्थना केवल प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक कारणों के संबंध में थी क्योंकि निष्कर्ष पहले ही मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए थे।

इस न्यायालय ने पाया कि दिनांक 27.05.2019 का आदेश, हालांकि, आई-पे क्लियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड (सुप्रा.), के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर, याचिकाकर्ता के आवेदन को अनुमति नहीं देने के विभिन्न तर्कों पर पारित किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन की अनुमति नहीं दी जा सकती।

तदनुसार, यह न्यायालय दिनांक 02.02.2019 के आदेश में हस्तक्षेप किए बिना, यह पाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन अधिनियम 1996 की धारा 34(4) विचारणीय नहीं है।

इस न्यायालय ने पाया कि रिट याचिका में योग्यता नहीं है और तदनुसार इसे अपास्त कर दिया गया है।

(अशोक कुमार गौड़), न्यायमूर्ति

Prash va shrav/86

**टिप्पणी:** इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म राजभाषा सेवा संस्थान द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

**अस्वीकरण:** यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।